

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
सिंचाई विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2011

विषय : उत्तर प्रदेश में बाढ़ वर्ष 2011 के पूर्व तटबंधों एवं कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षा हेतु रिजर्व स्टाफ के लिये धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-183/काप्रअ(परि० एवं निय०)/अनिवामं/यू-7/A 201, दिनांक 13.4.2011 जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है, पत्र संख्या-4262/1-10-2011-रा०-10, दिनांक 19.11.2011 तथा पत्र संख्या-4324/1-10-2011-33(396)/11, दिनांक 30.11.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में बाढ़ वर्ष 2011 के पूर्व तटबंधों एवं कटाव निरोधक कार्यों की सुरक्षा हेतु रिजर्व स्टाफ के लिये जैसे जी०ओ० बैग्स, सैण्ड बैग्स, नायलॉन रस्सी, जूट रस्सा, नायलॉन क्रेट, जनरेटर, इन्फलेटेबल टैन्क्स, इन्फलेटेबल टावर लाइट, सर्च लाइट, खूंटा, कुल्हाड़ी एवं हेक्सा इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रू० 3,75,00,000/-(रुपये तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग उ०प्र० शासन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त न हुई हो।

4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय। उपयोग किये जाने से पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत आंगणन राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तों उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(के०के० सिंह)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 4623 (1)/1-10-2011-33(396)/11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2-मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 3-प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)

उप सचिव।